

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में इब्दादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

संगरिया अधिकाारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

पत्र संख्या :- 25/2022

पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

संगरिया पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट सा.हरिपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

अजय कुमार पुत्र रायसिंह
राजीव कुमार पुत्र रायसिंह
अजना पुत्री राय सिंह
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

बनाम

जाति जाट साकिन हरिपुरा तह.संगरिया हाल भागू
तहसील अबोहर (पंजाब)

मुकेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट सा. संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 29.12.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरू

श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रतिवादी सं. 1
जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
प्राबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 2 एचआरपी 4/87 ज.स. 2073-2076

1. उग्रसैन पुत्र सुरेन्द्र कुमार 2/3 हिस्सा जाति जाट सा.हरिपुरा खातेदार राहिन 694/1164 हिस्सा एचडीएफसी

बैंक लिमिटेड शाखा हनुमानगढ़ जं. एवं मुकेश कुमार पुत्र मोहनलाल 1/3 हिस्सा जाति जाट सा.हरिपुरा
खातेदार राहिन .308/1164 हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरिपुरा

प.न.	मु.न.	किला नं.
205/123	68	13/0.228, 18/0.177, 19/0.253, 20/0.190, 22/0.253, 23/0.063 कुल 1.164 है.नहरी

2. लिंग चैनल में अवाप्त रकबा

प.न.	मु.न.	किला नं.
205/111	10	1/1/0.228, 1/2 रास्ता/0.025, 2/1/0.202, 2/2रास्ता/0.026, 3/1/0.177, 3/2रास्ता/0.025, 8 ता 10/0.759 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4126 दिनांक 17.10.2025 एवं उप तहसीलदार ढाबा का पत्रांक 282 दिनांक 14.10.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज. मुक्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया